उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0,
110, औद्यौगिक आस्थान,
फजलगंज, कानपुर।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों के सिविल एवं विद्युत वार्षिक अनुरक्षण हेतु निविदा की सामान्य शर्ते।

1. कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य अधिकतम एक वर्ष का होगा। अनुबन्ध का नवीनीकरण वार्षिक आधार पर समान दर व नियम तथा शर्तों पर अगले वर्ष के लिए आपसी सहमति पर आधारित होगा।
2. रख–रखाव के अन्तर्गत भवन की मरम्मत किया जाना है। दिन प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के अन्तर्गत जल निकासी पाइप, मैनहोल में अवरोधों को हटाया जाना, जल आपूर्ति चालू करना, फूंके हुए फ्यूज बदला जाना, खराब स्विचों को बदला जाना आदि कार्य दैनांदिन सेवा में आते हैं। इस सेवा का उद्देश्य भवन में विभिन्न सेवाओं सन्तोषप्रद सतत् कार्य करना है। ये सेवाएं सम्बन्धित प्रयोक्ता के कार्य स्थलों से प्राप्त शिकायतों की प्राप्ति के बाद किया जायेगा।
3. आवधिक प्रकृति के कार्य के अन्तर्गत सफेदी करना, कलर वाशिंग, डिस्टेम्परिंग, पेटिंग आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जब और जैसी जरूरत होगी प्लास्टर में छोटी मरम्मत कार्यो में लगने वाले विभिन्न उपकरणों की छोटी–छोटी मरम्मत, ग्लास पैन बदलना दुर्घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त तारों को बदलना, फर्नीचर की मरम्मत जो कि नित्य नये कार्य नहीं हैं और यह नियमित कार्य के अन्तर्गत आते है जिन्हे एक निश्चित वित्तीय वर्ष में विभिन्न शिकायतों की अनिवार्यता के आधार पर किया जायेगा।
4. सिविल एवं इलेक्ट्रिकल वर्क के अन्तर्गत आने वाले कार्य जैसे सबमर्सिबल पम्प की रिपेयरिंग, जनरेटर की रिपेयरिंग आदि कार्य आवश्यकता पड़ने पर वास्तविक आकलन के पश्चात् कराया जाना निश्चित होगा।
5. उपकरण स्थापित किये जाने सम्बन्धी सिविल एजेन्सी द्वारा किये जाने वाले आवश्यक निरीक्षण तथा स्थानीय निकाय द्वारा लगाये जाने वाले कर के भुगतान में ठेकेदार द्वारा किये गये खर्च वार्षिक मरम्मत व रख–रखाव से भिन्न होंगे, इसके लिए अलग से बिल देय होगा।
6. वास्तविक लागत – ठेकेदार द्वारा लगाये गये मैनपावर की लागत जो एन.एम.आर. (नामिनल मस्टर रोल) पर हों, ऐसे सभी कर्मचारियों का भुगतान ठेकेदार द्वारा चेक के माध्यम से किया जायेगा।
7. लगने वाले सभी कर्मचारियों का ई0एस0आई0 नं0 एवं पी0एफ0 नं0 अनिवार्य होगा।
8. रख–रखाव के बिलों का मिलान मूल वाउचर से किया जायेगा।
9. वार्षिक अनुरक्षण के अन्तर्गत लगने वाले सभी कर्मचारियों के वेतन का बिल अगले माह की 7 तारीख तक निगम में जमा करना अनिवार्य होगा, साथ ही मरम्मत अनुरक्षण के कार्य में प्रयोग की गई सामग्री एवं अन्य मरम्मत के कार्यों का बिल भी अगले माह की 7 तारीख तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
10. रख–रखाव के कार्य का प्रारम्भ होने पर समय समय पर निगम के अभियन्ताओं द्वारा कार्य में लगाये कर्मचारियों की जॉच की जायेगी।

क्रमशः———2 पर

11. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर यदि राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सालय एवं निगम के बीच अनुबन्ध की समाप्ति/ रद्द किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है तो ठेकेदार का अनुबन्ध उसी के अनुपालन में स्वतः समाप्त माना जायेगा।
12. कार्य कराये जाने के दौरान बीमा चिकित्सालय द्वारा कर्मचारियों / स्टोर के मद में यदि एक कमरा आवंटित किया जात है तो वह कमरा इसी कार्य में प्रयुक्त किया जायेगा इसमें किसी अन्य प्रकार की गतिविधियॉ नहीं होनी चाहिए। अनुबन्ध समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर ठेकेदार द्वारा उक्त कमरा खाली कर बीमा चिकित्सालय को हस्तगत कर दिया जायेगा।
13. बिना कोई कारण बताए एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध को रद्द करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। यदि कोई विशिष्ट कार्य चल रहा हो तो उसे पूर्ण करना होगा और रद्दकरण किसी भी तरह कार्य की प्रगति को प्रभावित नहीं करेगा।
14. ठेकेदार की यह जिम्मेवारी होगी कि उनके द्वारा लगाये गये व्यक्ति यदि अवकाश पर जाते हैं तो उसके स्थान पर किसी अन्य को लगाया जाये। यदि उसके स्थान पर किसी अन्य को नहीं भेजे जाने की स्थिति में नियमानुसार वेतन काट लिया जायेगा। कर्मचारी अपनी उपस्थिति प्रतिदिन हाजिरी रजिस्टर में दर्ज करायेंगे और प्रतिनिधि को बताये बिना कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेंगे।
15. ठेकेदार को शिकायत प्राप्ति, उसको देखने, एवं देरी का करण इत्यादि रिकार्ड/रजिस्टर रखना होगा। ठेकेदार द्वारा शिकायत पर की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट प्रति सप्ताह निगम में जमा करानी होगी। यदि ठेकेदार द्वारा आवश्यक मरम्मत आदि कार्य सन्तोषप्रद न हो तो निगम द्वारा एक सप्ताह का नोटिस देकर किसी अन्य ठेकेदार द्वारा कार्य करा लिया जायेगा।
16. कार्य कराने के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
17. ठेकेदार द्वारा एक माह के बाद लगाये गये बिल का भुगतान राज्य कर्मचारी बीमा चिकित्सालय की जॉच आख्या के बाद बीमा चिकित्सालय द्वारा निगम को भुगतान प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा, निगम को बिना भुगतान प्राप्त हुए ठेकेदार को कोई भुगतान निगम द्वारा नहीं किया जायेगा।
18. ठेकेदार समय–समय पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के लेबर एक्ट के नियमों का पालन करना सुनिश्चित करेगें। किसी भी प्रकार के लेबर एक्ट के पालन में लापरवाही पर होने वाली देयता ठेकेदार की होगी।
19. निविदा के लिए केवल वे ही ठेकेदार अधिकृत होगें, जो निगम में सिविल के कार्यो हेतु श्रेणी "बी" में एवं विद्युत के कार्यो के लिए श्रेणी "ए" में पंजीकृत होगें। एक ही फर्म के दोनो श्रेणी में पंजीकृत न होने की दशा में दो अलग–अलग फर्मे ज्वाइंट बेन्चर (Joint vencher) के रूप निविदा में प्रतिभाग कर सकती है। ज्वाइंट बेन्चर (Joint vencher) की दशा में दोनो फर्मो में एक फर्म मुख्य (Leed) फर्म होगी। कार्य के सम्बन्ध में समस्त भुगतान मुख्य (Leed) फर्म के नाम से किया जायेगा। ज्वाइंट बेन्चर (Joint vencher) की दशा में दोनों फर्मो का अनुबन्ध निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
20. समस्त निविदाओं अथवा एक निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने के समस्त अधिकार निगम के पास सुरक्षित होगा।